भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1746**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**महिला पुलिसकर्मियों द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें**

**1746. श्री नरेश गुजरालः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महिला पुलिसकर्मियों द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का राज्य-वार रिकार्ड रखती है और प्राप्त शिकायतों तथा निपटायी गई शिकायतों की संख्या कितनी-कितनी है एवं आरोप में फंसे अधिकारी/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) एवं (ख) : कार्यस्‍थल पर महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और शिकायत निपटान) अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं को एक निरापद और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए बाध्‍य करता है । अधिनियम सभी नियोक्ताओं को आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने के लिए भी बाध्य करता है । इसके अलावा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के मौजूदा प्रावधान भी यौन उत्‍पीड़न के विभिन्‍न अपराधों के लिए लागू हैं । कार्यस्‍थल पर महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और शिकायत निपटान) अधिनियम, 2013 की धारा-23 उपयुक्‍त सरकार पर अधिनियम के कार्यान्‍वयन को मॉनिटर करने तथा दायर किए गए एवं निपटाए गए मामलों का डाटा रखने का दायित्‍व देती है । कार्यस्‍थल पर महिला पुलिस कर्मियों के यौन उत्‍पीड़न संबंधी शिकायतों का राज्‍यवार रिकार्ड़ वर्तमान में केन्‍द्र द्वारा नहीं रखा जाता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्‍तर्गत् ‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्‍यवस्‍था’ राज्‍य संबंधी विषय हैं । कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन एवं सम्‍पत्ति का संरक्षण करने का दायित्‍व मुख्‍य रूप से संबंधित राज्‍य सरकारों का है । राज्यों की सरकार कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं ।

\*\*\*\*\*